

27/01  
2025

उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर (राज०)  
वकील प्रतिवादी उपस्थित अपीलवादी कोर्ट में आया भी कोई  
उपस्थित नहीं। बार-बार आया लगवाने के  
बावजूद अपीलान्त की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः अपील अपीलान्त अदमह (पी)  
अदमह पैवी में खारिज की जाती है। पत्रावली  
जिसमें सुमा होकर न्याय ले कर हो। हस्त  
जांचा दाखिल दस्ता हो।

उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर (राज०)